

प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या सम्बन्धी प्रारूप:-

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम:- द्वितीय वृत्त, मेरठ

परिषद दिवस के आयोजन का दिनांक:-18.02.2016

क्रमांक	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं0	शिकायत का विषय	यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय-(तत्काल/7 दिन/ 15 दिन)	कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1.	श्री विपुल जैन, ए-49 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0नं0-9837351699	ए-47 व ए-49 के मध्य डेड एन्ड के भूखण्ड के नियम के विरुद्ध आवंटन तथा उक्त भूखण्ड पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिसासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, मेरठ के पत्रांक 278/ जी-15/ 20 दिनांक 17.3.16 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि भवन संख्या-ए-47 पर अनाधिकृत निर्माण करने पर खण्ड के पत्रांक 224/ दिनांक 18.6.2013 द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश निर्गत किये जा चुके हैं तथा पत्रांक 240/ दिनांक 31.7.2013 द्वारा सील के आदेश भी निर्गत किये जा चुके हैं। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई कार्यवाही नहीं है। भवनों/ भूखण्डों के निरस्त करने की कार्यवाही सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, मेरठ द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त आप द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना खण्ड के पत्रांक 1493/ जी-26/ 194 दिनांक 20.11.15 द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है। अतः प्रकरण निस्तारित है।	निस्तारित
2.	श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा अध्यक्ष जन कल्याण समिति मेरठ,	योजना संख्या-7 शास्त्रीनगर मेरठ के सैक्टर-3 में व्यवसायिक भूखण्ड		15 दिन	अधिसासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8 मेरठ के पत्रांक 355/	निस्तारित

	कार्यालय 201/5 नई सड़क शास्त्रीनगर मेरठ मॉ0 नं0-9756444929	संख्या-3/व्यव0-सर्जित/नीलामी हेतु प्रस्तावित एक नग छोटे छोटे भूखण्डों में विभाजित कराये जाने के सम्बन्ध में।			जी-19/ 03 दिनांक 01.3.2016 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड को छोटे-छोटे भूखण्डों में विभक्त किये जाने का प्रस्ताव खण्ड कार्यालय के पत्रांक 342/ वाई-7/ 16 दिनांक 24.2.16 द्वारा वास्तुविद नियोजक, लखनऊ को प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने पर तदानुसार भूखण्ड के निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी। तदानुसार परिषद दिवस में दिया गया पत्र निस्तारित किया जाता है।	
3.	श्री संदीप अग्रवाल, एफ-131 के सामने 117 कुटी शास्त्रीनगर मेरठ, मो0नं0-9319058518	योजना संख्या-1 मंगल पाण्डे नगर के भूखण्ड संख्या-471/1 को खसरा संख्या-147 बताकर निर्माण कार्य रूकवाने हेतु पत्र पर कार्यवाही करते हुए भूखण्ड संख्या-471/1 व 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 493 के सामने अवैध निर्माण हटवाने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिकांसी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-6, मेरठ के पत्रांक 245/ एम-13/04 दिनांक 05.03.2016 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि मंगल पाण्डे नगर योजना सं0-1 मेरठ हेतु खसरा सं0-146 व 147 की भूमि का परिषद द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है। परिषद द्वारा खसरा सं0-148 की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिस पर परिषद द्वारा भूखण्ड सं0-471/1, 473/1, 475/1, 477/1, 481/1, 483/1 सृजित कर आवंटित किये गये हैं। आपको आवंटित भू0सं0-471/1 खसरा सं0-148 की भूमि पर स्थित है। आप नियमानुसार परिषद से अपने भूखण्ड का मानचित्र स्वीकृत कराकर भूखण्ड पर निर्माण कार्य कराने का कष्ट करें। उक्त भूखण्डों पर कोई अवैध निर्माण नहीं है। नाली एवं सड़क निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त	निस्तारित

					योजना की समस्त सेवायें (जैसे नाली, सीवर, सड़क, पार्क एवं जलापूर्ति आदि) पूर्ण कर रख-रखाव हेतु नगर निगम, मेरठ को वर्ष 2001 में हस्तान्तरित की जा चुकी है। वर्तमान में अवस्थापना निधि के अन्तर्गत प्रश्नगत सड़क के सुदृढीकरण का कार्य प्रस्तावित किया गया है। उक्त सड़क निर्माण हेतु कार्यवाही प्रगति में है।	
4.	श्री संदीप अग्रवाल, एफ-131 के सामने 117 कुटी शास्त्रीनगर मेरठ, मो0नं0-9319058518	मंगल पाण्डे नगर मेरठ के भवन संख्या-471/1 में मानचित्र स्वीकृत व उक्त भूखण्ड की पूर्व दिशा में सड़क एवं नाली बनवाने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिकांश अभियन्ता, निर्माण खण्ड-6, मेरठ के पत्रांक 234/एम-04/18 दिनांक 04.03.2016 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि मंगल पाण्डे नगर योजना सं0-1 मेरठ हेतु खसरा सं0-146 व 147 की भूमि का परिषद द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है। परिषद द्वारा खसरा सं0-148 की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिस पर नियमानुसार भूखण्ड सृजित कर आवंटित किये गये हैं। आपको आवंटित भू0सं0-471/1 खसरा सं0-148 की भूमि पर स्थित है। आपके भूखण्ड मानचित्र की स्वीकृति की कार्यवाही वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-प्रथम, लखनऊ द्वारा की जानी है। वास्तुविद नियोजक, लखनऊ के पत्रांक 526 दिनांक 26.2.16 द्वारा वांछित प्रपत्र/सूचना उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें। नाली एवं सड़क निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त योजना की समस्त सेवायें (जैसे नाली, सीवर, सड़क, पार्क एवं	निस्तारित

					जलापूर्ति आदि) पूर्ण कर रख-रखाव हेतु नगर निगम, मेरठ को वर्ष 2001 में हस्तान्तरित की जा चुकी है। वर्तमान में अवस्थापना निधि के अन्तर्गत प्रश्नगत सड़क के सुदृढीकरण का कार्य प्रस्तावित किया गया है। उक्त सड़क निर्माण हेतु कार्यवाही प्रगति में है।	
5.	श्री साबिर अली, 331 आवास विकास कालोनी बुलन्दशहर रोड हापुड़, मॉ0 नं0-9756463184	अम्बेडकर नगर योजना संख्या-1 हापुड़ स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या-324/1 के सम्बन्ध में		15 दिन	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-10, मण्डोला विहार, गाज़ियाबाद के पत्रांक 242/वाई-2/ 22 दिनांक 05.3.16 के द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषद की अम्बेडकर नगर योजना सं0-1, हापुड़, भूखण्ड सं0-324/1 के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या खण्ड के पत्रांक 173/ वाई-12/ 12 दिनांक 17.2.16 द्वारा सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, मेरठ को प्रेषित कर दी गयी है।	अनिस्तारित